किसान Tak

पंजाब में 6 लाख रुपये का नकली कीटनाशक जब्त, अब FIR दर्ज कर आरोपियों पर होगी कार्रवाई

पंजाब के कृषि विभाग ने सोमवार को मानसा के झंडूके गांव में अवैध कीटनाशकों का बड़ा स्टॉक जब्त किया. कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियां ने बताया कि गुणवत्ता नियंत्रण अभियान के तहत मुख्य कृषि अधिकारी मानसा के नेतृत्व में एक टीम ने झंडूके के डंडीवाल बीज भंडार पर छापा मारा और 6 लाख रुपये से अधिक कीमत का 8.82 क्विंटल 29 लीटर कीटनाशक जब्त किया. मंत्री ने बताया कि अवैध कीटनाशकों का जब्त स्टॉक वुडलैंड क्रॉप साइंस, मार्श फर्टिकैम लिमिटेड (मार्केटिंग) और मॉडर्न क्रॉप साइंस, कैनेसी क्रॉप केमिकल प्राइवेट लिमिटेड और क्रॉपवेल एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का है.

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कीटनाशक अधिनियम 1968 और नियम 1971 के अनुसार विभिन्न कीटनाशकों के कुल छह नमूने भी एकत्र किए गए हैं और विभाग ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. कृषि विभाग ने हाल ही में राज्य में सहकारी समितियों को घटिया डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की आपूर्ति करने के लिए दो उर्वरक कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. खुदियां ने कहा कि कृषि विभाग ने

राज्य भर में गुणवत्ता नियंत्रण अभियान शुरू किया है और 2024-25 के दौरान 4,500 कीटनाशकों के नमूनों का परीक्षण करने का लक्ष्य रखा है.

Source: https://www.kisantak.in/khad-beej/story/fake-pesticides-fake-pesticides-worth-rs-6-lakh-seized-in-punjab-bnk-1060444-2024-07-30